

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय  
अजमेर

Court  
6  
01/06/23

दिये राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने कायदा।

महोदय

उपरोक्त विषयवस्तु निवेदन है कि ग्राम सराधना पटवार मण्डल सराधना भू अगिलेख सराधना निरीक्षक क्षेत्र सराधना तहसील अजमेर की जमाबंदी सन् 2069-72 खाता सं. 101 नं. यशपाल

पुत्र शिवदान सिंह है 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार अंकन है। जब कि जमाबंदी सन् में आधार कार्ड सं. 4222 6509 0130 नं. यशपाल पुत्र सोदान सिंह

अंकन दर्ज सोदान सिंह अंकन दर्ज अंकन वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः ऊपर के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा करावे।

जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं

दिनांक 1. 6. 23

सालान

Yashpal  
प्राची

पता यशपाल सोदान सिंह  
मु. पोस्ट - सराधना  
मोन 9252113201

यशपाल (भू. अ.) अजमेर  
दिनांक 01/06/2023  
भू. अ. / 450 /

जाच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू अगिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जाच की गई कि ग्राम सराधना के खाता सं. 101 में गर्षी के

पिता का नाम शिवदान सिंह दर्ज है जबकि आधार कार्ड में सोदान सिंह दर्ज है।

अंकन दर्ज है जो गलत है। अतः उपर अंकन के स्थान पर नवीन अंकन यशपाल पुत्र

सोदान सिंह उर्फ शिवदान सिंह

दुरुस्त करने की अनुशाषा की जाती है।

01/06/23  
हस्ताक्षर पटवारी

[Signature]  
हस्ताक्षर भू अगिलेख निरीक्षक

[Signature]  
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

दिनांक 01/06/23

क्रमांक उखण्ड/राजस्व/शिविर/21/ 99

-- आदेश --

रिपोर्ट व अनुशाषा पटवारी हल्का सराधना भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराधना व तहसीलदार अजमेर के आधार पर ग्राम सराधना पटवार मण्डल सराधना भू अगिलेख क्षेत्र सराधना तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं. 101 खासरा नम्बर सोदान पर नवीन अंकन राजस्थान भू काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का मिलान/जाच एवं मा न्यायालय में वाद विचारधीन एवं स्वयं आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात ही रिकार्ड में अमल दरासद करावे।

यशपाल पुत्र सोदान सिंह उर्फ शिवदान सिंह  
न्यायालय अधिकारी अजमेर एवं शिविर अधिकारी महाराज साहू के संयुक्त आदेश-2023